**UPSI010040752022**
**न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–15,**
**(पी.ओ.सी.एस.ओ.एक्ट)सीतापुर।**

**विशेष सत्र परीक्षण संख्या–13/2022**

**सरकार** **बनाम** **सूरज लोहार ।**
**मु0अ0सं0 70/2022**
**धारा 363,366 भा0दं0सं0 व**
**धारा 3(2)(5)एस.सी.एस.टी.एक्ट व**
**धारा 16/17पी.ओ.सी.एस.ओ.एक्ट,**
**थाना इमलिया सुल्तानपुर,**
**जिला सीतापुर।**

**दिनांक–21.12.2023**

**पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र 36क के निस्तारण हेतु नियत है।**

पत्रावली के सम्यक् परिशीलन के अवलोकन से विदित होता है कि विशेष लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थनापत्र 36क अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 दिनांक 11.12.2023 को प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी। तदुपरान्त उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा सुनवाई कर निस्तारण हेतु नियत की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 36क में इस आशय का कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में बयान पीड़िता 161 व 164 दं0प्र0सं0 तथा तहरीर के आधार पर राजू के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य था परन्तु विवेचक ने राजू के नाम को आरोपपत्र से पृथक कर दिया गया था। न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान वादी व पीड़िता के बयान के आधार पर राजू के विरूद्व उक्त अपराध में संलिप्तता का साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में राजू को न्यायालय द्वारा तलत किया जाना आवश्यक है। उक्त आधार पर अभियुक्त राजू को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त के सम्बंध में अभियुक्त की ओर से मौखिक या लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

**उल्लेखनीय है कि धारा 319 द0प्र0सं0 की उप धारा–1 में ऐसे व्यक्तियों को तलब किये जाने का प्राविधान उल्लिखित है जो कि अपराध के दोषी प्रतीत होते हों।**

**धारा 319 द0प्र0सं0 की उप धारा 1 के प्राविधान निम्न प्रकार हैः–**

**धारा–319 (1)द0प्र0सं0** जहॉ किसी अपराध की जांच या विचारण

के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान **अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा बड़कन तथा अभियोजन साक्षी संख्या–2 अवयस्क पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है, जिनके साक्ष्य का सम्यक परिशीलन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो के निस्तारण हेतु मेरे द्वारा किया गया।

**यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कि कैलास बनाम राजस्थान राज्य एंव एक अन्य 2008 (1) सी0सी0एस0सी 462 (एस0सी0) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा–319 द0प्र0सं0 के अधीन प्राप्त शक्तियॉ न्यायालय का विवेकाधिकार हैं और जिनका प्रयोग यदाकदा और सतर्कता से ही किया जायेगा।**

**इसके अतिरिक्त मो0 शफी बनाम मो0 रफीक और अन्य 2007 क्रिमीनल लॉ जर्नल 3198 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय, जिसे कि वह द0प्र0सं0 की धारा–319 के निबन्धनों में अपनी वैवेयिक अधिकारिता का प्रयोग करने के पूर्व, अपने इस समाधान पर पहुॅचे कि ऐसी सम्भाव्यता विद्यमान है कि इस प्रकार समन किया गया अभियुक्त सभी सम्भाव्यताओं में दोषसिद्ध किया जायेगा। ऐसा समाधान उक्त साक्षी की प्रति परीक्षा को पूरा करने पर ही अन्य बातों के साथ–साथ निकाला जा सकता है। उक्त प्रयोजन के लिए सम्बद्ध न्यायालय अन्य साक्ष्य पर भी विचार करना पसन्द कर सकता है।**

**विधि व्यवस्था रूकसाना खातून बनाम शेखावत हुसैन ए.आई.आर. 2002 एस.सी.2342 तथा राकेश बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर.2001एस.सी. 2521 मामलो में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया है कि साक्षियो की मुख्य परीक्षा में कहे कथनो के आधार पर भी अतिरिक्त अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया जा सकता है।**

उक्त के सम्बंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा बड़कन्न की ओर से प्रश्नगत घटना के सम्बंध में प्रस्तुत तहरीर **प्रदर्श क–1** में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अवयस्क पीड़िता को अभियुक्त सूरज बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसमें सूरज को राजू पुत्री रमेश का पूरा सहयोग है। इस सम्बंध में **पी0डब्लू01 वादी मुकदमा** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता को राजू के सहयोग से सूरज द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का

कथन किया है। इसी संदर्भ में **पी0डब्लू02 पीड़िता** द्वारा अपने अर्न्तगत **धारा 161 दं0प्र0सं0 व धारा 164 दं0प्र0सं0** के बयान व न्यायालय में दर्ज कराये गये **सशपथ बयान व जिरह** में अभियुक्त सूरज के साथ राजू का मिलना तथा राजू के सहयोग से अवयस्क पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने का उल्लेख किया है तथा अभियुक्त सूरज द्वारा गलत काम किया जाना बताया है जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्ता राजू द्वारा अभियुक्त सूरज को अवयस्क पीड़िता के साथ कथित अपराध के लिये दुष्प्रेरित किया गया हैं।

उपरोक्त परिस्थितियो में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षीगण के साक्ष्य के विश्लेषण से इस स्तर पर इस न्यायालय को यह समाधान होता है कि **इस प्रकरण में विचारणार्थ अभियुक्ता राजू पुत्री रमेश निवासी ग्राम पुरवा बूधरसिंह थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर को अपराध सं0 70/2022 अर्न्तगत धारा धारा 363,366 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट व धारा 16/17 पी. ओ.सी.एस.ओ.एक्ट के तहत** जरिये सम्मन तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 36क अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थनापत्र 36क अर्न्तगत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। **प्रश्नगत मामले में उक्त अभियुक्ता राजू को अपराध सं0 70/2022 अर्न्तगत धारा 363,366 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट व धारा 16/17 पी. ओ.सी.एस.ओ.एक्ट में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है।**

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान/अग्रिम आदेश हेतु दिनॉक 09.01.2024 को पेश हो।

**दिनांक–21.12.2023**

**(निशा झा)**
**अपर सत्र न्यायाधीश, (पी0ओ0सी0एस0ओ0 एक्ट),**
**कोर्ट सं0–15, सीतापुर।**

**अजीत.**

Digitally signed by Nisha Jha
Date: 2024.01.12 11:56:01 IST
Reason: Document Owner
Location: A.D.J.POCSO Court No.15,STP.